UPRP010034902026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं० 6, रामपुर।

दाण्डिक प्रकीर्ण(जमानत) प्रार्थना पत्र सं०–27/2026

रजि०सं०–809/2026

<u>11.06.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **फाईद** की ओर से विशेष वाद सं०–07/2022, मुकदमा अपराध संख्या–238/2021, अन्तर्गत धारा–8/21 एन०डी०पी०एस०एक्ट, थाना–गंज, जिला रामपुर के मामले में जमानत हेतु **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में झूंठा व फर्जी मुल्जिम बनाया गया है। उपरोक्त वाद में अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 07.03.2026 को गैरजमानतीय अधिपत्र जारी किये गये हैं। अभियुक्त उक्त प्रकरण में गैरजमानतीय अधिपत्र के आधार पर दिनांक 07.03.2026 से जिला कारागार रामपुर में निरुद्ध है। अभियुक्त पर एक अन्य अभियोग धारा 4/25 आयुध अधिनियम का लगाया गया था। उक्त अभियोग में अभियुक्त फरबरी 2026 से जिला कारागार, रामपुर में निरुद्ध था। प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.02.2026 को न्यायालय में हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ,जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। अभियुक्त एक गरीब व्यक्ति है। उसकी वृद्ध माता है, जिसकी जिम्मेदारी अभियुक्त पर ही निर्भर है। अभियुक्त मजदूरी करता है तथा रिक्शा चलाता है। तारीख की गलती के कारण प्रार्थी उक्त वाद में न्यायालय नही आ सका था, जिस कारण प्रार्थी के विरूद्व न्यायालय द्वारा गैरजमानतीय वांरट जारी किये गये। प्रार्थी उक्त मामले में गैरजमानतीय वांरट के आधार पर दिनांक 28.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नही की है, जो भी गलती हुई है, वह उक्त कारणवश हुई है। अतः उक्त आधारों पर अभियुक्त के द्वारा जमानत की प्रार्थना की गयी।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा न्यायालय से अनुपस्थित होकर अपनी पूर्व जमानत का दुरूपयोग किया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व से गुण–दोष के आधार पर जमानत पर था तथा अभियुक्त वांरट के आधार पर दिनांक 28.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितयों एवं अभियुक्त की जेल में निरूद्व अवधि को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **फाईद** की ओर से विशेष वाद संख्या –07/2022, मुकदमा

Digitally signed by PINKU KUMAR
Date: 2026.05.27 22:12:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपराध संख्या –238/2021, अन्तर्गत धारा–8/21 एन०डी०पी०एस०एक्ट, थाना–गंज, जिला रामपुर के मामले में प्रस्तुत **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा अंकन रूपये 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के **दो नवीन प्रतिभू** दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

1–प्रार्थी/अभियुक्त स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

2–प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा।

3–प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा और अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

4–प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रदान की गयी जमानत का पुनः दुरूपयोग नहीं करेगा।

(पिंकू कुमार)
विशेष न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 6, रामपुर।
J.O.Code–UP2659

दिनांकः11–06–2026